संख्याः 374/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
वित्त विभाग/राजस्व विभाग/भूगर्भ जल विभाग/सिंचाई विभाग/
ऊर्जा विभाग/नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विद्युत पारेषण निगम लि0।
5- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊः दिनांकः 14 मार्च,2024

विषयः- उत्तर प्रदेश ग्रीन हाईड्रोजन नीति-2024 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की समस्त गतिविधियों के संचालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उ0प्र0 सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत किया जाता हैः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग - अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव - सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव - सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,भूगर्भ जल विभाग,अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव - सदस्य

5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव	- सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,ऊर्जा विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव	- सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव	- सदस्य
8.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट उ0प्र0 अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव	- सदस्य
9.	प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पॉवर कारपोरेशन लि0,	- सदस्य
10.	प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 विद्युत पारेषण निगम लि0,	- सदस्य
11.	राज्य/केन्द्र सरकार के विषय वस्तु विशेषज्ञ, यूपीनेडा द्वारा नामित	- सदस्य
12.	निदेशक यूपीनेडा	- सदस्य सचिव

प्राधिकृत समिति ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु उत्तरदायी होगीः-

1. प्राधिकृत समिति वृहद् श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु मा. मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त उर्जा स्रोत्र विभाग उत्तर प्रदेश के समक्ष संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
2. विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं के साथ समन्वय को सुगम बनाना।
3. इस नीति के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करना और नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु शासन को संस्तुति करना।
4. कार्य प्रगति की समीक्षा करना एवं लक्ष्यों का पुनः आँकलन कर अद्यतन करना।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः३१४(1) /87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।